

## लोक सुनवाई के संबंध में आम सूचना

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के तहत सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स डी0पी0राय मिरगपुर मेगनीज अयस्क खदान ग्राम मिरगपुर तह0 कटंगी जिला बालाघाट ने मेगनीज अयस्क के 1300 टन प्रतिवर्ष उत्खनन क्षमता एवं लीज क्षेत्रफल 24.288 हैक्टैयर के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में लोक सुनवाई हेतु आवेदन किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित रेपिड ई.आई0ए0 रिपोर्ट एवं परियोजना के कार्यकारी सारांश (साफ्ट कापी सहित)का अवलोकन कार्यालय कलेक्टर बालाघाट, कार्यालय जिला पंचायत, बालाघाट, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट कार्यालय ग्राम पंचायत मिरगपुर जिला बालाघाट, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड क्रमांक -3 राजयोग भवन के पास ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल, कार्यालय सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एवं क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्लॉट क्रमांक 455/456 विजयनगर, जबलपुर-म0प्र0 में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त खदान परियोजना के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव/विचार एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-455/456 विजयनगर जबलपुर म0प्र0 के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 11.10.2007 दिन गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय मिरगपुर तह0 कटंगी जिला-बालाघाट में आयोजित की गई है। जिसमें भी सुझाव/विचार एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती हैं।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

प्लॉट क्रमांक 455/456 विजयनगर, जबलपुर-म0प्र0